छापे के दौरान सील नहीं होगी फैक्टरी नोटिसों की सुनवाई होगी ऑनलाइन

उद्यमियों को बड़ी राहत : आईआईए की बैठक में समस्याओं का समाधान

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। राज्य कर छापे और अफसरों की कार्यशैली से नाराज उद्यमियों को बड़ी राहत मिली है। अब राज्य कर छापे के दौरान किसी भी फैक्टरी को सील नहीं किया जाएगा। नोटिस पर उद्यमियों को दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने होंगे। एक अप्रैल से केंद्र की तरह नोटिसों की सुनवाई वर्चुअल होगी। पांच हजार रुपये से कम की गड़बड़ी पर कोई नोटिस जारी नहीं होगा।

इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन (आईआईए) के साथ बैठक में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, अपर मुख्य सचिव राज्यकर नितिन रमेश गोकर्ण और अपर मुख्य सचिव एमएसएमई अमित मोहन प्रसाद ने उद्यमियों के हित में ऐसे कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। शनिवार को आईआईए के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज सिंघल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश गोयल, आईआईए जीएसटी कमेटी के चेयरमैन शशांक शेखर और महासचिव आलोक अग्रवाल ने वरिष्ठ अधिकारियों के सामने खुलकर अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि सचल दल उद्यमियों के वाहनों को अनावश्यक रूप से रोकते हैं और भारी जुर्माना लगाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा निकाली गई सूचना के आधार पर पांच सौ-हजार रुपये जैसी छोटी राशि की अनियमिताओं पर कई नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इनकी सुनवाई और जवाब के लिए केंद्र की तरह ऑनलाइल या वर्चुअल व्यवस्था नहीं है। इस वजह से दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कहा कि राज्य जीएसटी विभाग के अधिकारी छापे के दौरान फैक्टरी सील कर देते हैं। इससे कारोबार प्रभावित होता है।

उद्यमी बोले- ईमानदारों को न किया जाए परेशान

नीरज सिंघल ने कहा कि आईआईए प्रदेश के टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी का समर्थन करता है लेकिन सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि ईमानदार उद्यमियों को प्रोत्साहन मिले। उनका उत्पीड़न न हो। छोटी-छोटी गलतियों पर जिनसे राजस्व प्रभावित न होता हो परेशान न किया जाए, बल्कि उन गलतियों को सुधारने में उद्यमी का सहयोग किया जाए।

पांच अहम फैसले

01 राज्य जीएसटी द्वारा फैक्टरियों में छापे के दौरान उसे सील करने का कोई प्रावधान नहीं है। यदि एसआईबी की टीम फैक्टरी को सील करती है अथवा नोटिस देती है तो इसकी सूचना तत्काल राज्य कर विभाग को दें।

02 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो सूचना विभाग को मिल रही है, उसके आधार पर 5000 रुपये से कम की अनियमितता के लिए उद्यमियों को नोटिस जारी नहीं किए जाएंगे।

03 एक अप्रैल, 2024 से उद्यमियों को राज्य कर विभाग द्वारा भेजे जाने वाले नोटिसों की सुनवाई वर्चुअल होगी जैसा केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।

04 राज्य कर विभाग के किसी भी अधिकारी की एक स्थान पर तैनाती चार वर्ष से अधिक नहीं की जाएगी। इस निर्णय का पालन शुरू कर दिया गया है।

05 राज्य में जीएसटी कलेक्शन बढ़ाने का उद्देश्य है, लेकिन इसके लिए उद्यमियों का उत्पीड़न न हो इसे सरकार सुनिश्चित करेगी।